



आदेश क्रमांक – 23/35-2017 PS (E-1)

दिनांक, पंचकूला – 29.07.2020

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए Tagore Public School, Sector-50, Distt. Gurugram को कक्षा 1 से 8 तक CBSE से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त सहित दी जाती है कि यह सम्बद्धता विद्यालय का स्तर बढ़ाने के लिए मान्य नहीं होगी। विद्यालय का स्तर बढ़ाने हेतु मान्यता के लिए अलग से आवेदन किया जायेगा। विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 23/35-2017 PS (E-1), दिनांक 14.01.2020 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा। विद्यालय का कोड नं० 4485/GGM/8th/BOSE/2020 है।

DR. VANDANA DISODIA
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN.
DIRECTORATE OF ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

दिनांक, पंचकूला – 29/7/2020

पृष्ठांकन-क्रमांक-सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक समीति, G.R. Shiksha Samiti, Vill. Post Majra Khurd, Tehsil & Distt. Mohindergarh.
2. सचिव, CBSE Shiksha Kendra, 2 Community Centre, Preet Vihar, Delhi-110092
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, Bhiwani.
4. जिला शिक्षा अधिकारी, Gurugram.
5. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, Gurugram.
6. मुख्याध्यापक, Tagore Public School, Sector-50, Distt. Gurugram.
7. आई०टी० सैल (H.Q.)

29/7/2020
SUPERINTENDENT PS (E)
FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA